न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 5/25 (225 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/27

उनवान

वेदवती पत्नी श्री रतनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम गोपालगढ़ तहसील पहाड़ी जिला डीग।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. भीमा पुत्र श्री रामसिंह जाति जाट निवासी ग्राम गोपालगढ़ तहसील पहाड़ी जिला डीग।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैराकार सरकार।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 125/2023 बउनवानी वेदवती बनाम भीमा वगै में पारित निर्णय दिनांक 02.01.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री पंकज कुमार उपस्थित

निर्णय दिनांक : 25.03.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी द्वारा मु.स. 125/2023 बउनवानी वेदवती बनाम भीमा वगै में पारित निर्णय दिनांक 02.01.2025, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के विरूद्ध प्रस्तुत की है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक दावा विभाजन बउनवानी भीमा बनाम वेदवती, अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 के तहत खसरा नम्बर 203, 296, 2147, 2359/203, 309, 764 वाके ग्राम गोपालगढ़ बाबत् अपीलान्ट व अन्य के विरुद्ध पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी की तामील नहीं हुई और उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर दावा भीमा बनाम वेदवती आदि में दिनांक 10.08.2016 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई एवं दिनांक 12.11.2026 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई। अन्तिम डिक्री दिनांक 12.11.2016 को अपास्त कराने हेतु अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील फरीकेन की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.01.2025 को अपीलान्ट/प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज कुमार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा की पत्रावली में प्रतिवादी की तामील हेतु तारीख पेशी 15.02.2016 जरिये समन नियत थी और उस दिन कोई कार्यवाही नहीं हुई पुनः तारीख पेशी 06.04.2016 नियत की गई। पत्रावली में कोई आदेश रजिस्टर्ड डाक से तामील कराने बाबत नहीं हुए लेकिन दिनांक 06.04.2016 को रजिस्टर्ड डाक से तामील मानकर प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर साक्ष्य हेत तारीख पेशी 23.05.2016 नियत की गई। तारीख 23.05.2016 से पूर्व ही तारीख 19.05.2016 को लोक अदालत में पेश की गई। फिर दिनांक 27.07.2016 तारीख पेशी नियत की गई और फिर 28.07.2016 एस.डी.ओ. बाहर पधारे है तारीख पेशी 03.08.2016 नियत की गई दिनांक 03.08.2016 में मोहर लगाकर तारीख पेशी 10.08.2016 नियत की गई। और बिना साक्ष्य लिये तथा बिना साक्ष्य बन्द किये ही दिनांक 10.08.2016 को वादी की एकतरफा बहस सुनकर दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया गया। जो गलत व खिलाफ कानून है। प्राथमिक डिक्री के बाद कोई सूचना प्रतिवादी को नही दी गई। तारीख पेशी दिनांक 17.10.2016 में आगामी पेशी दिनांक 25.11.2016 नियत की गई लेकिन पत्रावली दिनांक 12.11.2016 को ही लोक अदालत कैम्प पहाड़ी में ले जाकर तथाकथित कुर्रे लिये जाकर अंतिम डिक्री पारित कर दी। कुर्रे वादी की उपस्थित में ही बनाये हैं। उक्त सभी कार्यवाही गलत एवं प्रक्रिया के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी 7 वर्ष की देरी से प्रस्तुत किया है देरी का कोई कारण नहीं बताया है अंकित कर अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज किया है। जब अपीलान्ट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दावा डिक्री किया गया था तो अपीलान्ट प्रतिवादी को इसकी कोई जानकारी नही हो पाई थी। जब भीमा द्वारा धमकी दी जब अपीलान्ट को इसका इल्म हुआ और नकल लेकर अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही की तथा देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया और आदेश जैर अपील खिलाफ कानून पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के अलावा अन्य पक्षकार भी थे जिन्हेंने कोई कार्यवाही डिक्री को निरस्त कराने बाबत नही की तो इससे अपीलान्ट प्रतिवादी के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अपीलान्ट अपने हितों तक एकतरफा डिक्री निरस्त करा सकती है। अपीलान्ट ने डिक्री पारित होने के बाद कोई लोन नहीं लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर भी निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 1993 RRD 116, 1992 RRD 17 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 02.01.2025 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार फरमाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जावे एवं डिक्री एकतरफा दिनांक 12.11.2016 उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी सैटअसाइड फरमाई जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेसपोडेन्ट ने अपनी बहस के कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के लगभग 7 वर्ष बाद पेश किया है। अप्रार्थी/वादी भीमा द्वारा आराजी मुतदाविया बाबत न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक वाद धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. के तहत प्रार्थीया/प्रतिवादीनी वेदवती व अन्य प्रतिवादीगण वचन सिंह, अजीतसिंह पिसरान रतनसिंह के खिलाफ बउनवानी भीमा बनाम वेदवती वगै. प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीया वेदवती व अन्य प्रतिवादीगण को प्रकरण मु.स. 35/15 "भीमा बनाम वेदवती वगै0" की भलीभांति जानकारी प्रारम्भ से ही थी। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी के संबध में भीमा ने धमकी देना बताया है जबकि सभी के खाते अलग–अलग हैं। विवादित आराजी जो अपीलान्ट के हिस्से में आयी है उस पर अपीलान्ट द्वारा लोन लिया गया है एवं विवादित आराजी बैंक में रहन रखी गई है। इस प्रकार अपीलान्ट ने अपनी सहमति प्रदान की है। अपीलान्ट द्वारा यह नहीं बताया गया कि कुर्रे रिपोर्ट में इनको गलत रुप से खसरा नम्बर दे दिया है। कुर्रा रिपोर्ट अनुसार सभी पक्षकारों को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी प्राप्त हुई है। अन्तिम डिक्री पारित होने के बाद उसका अमल भी हो चुका है। मौके पर किसी भी प्रकार कोई विवाद नहीं था। सभी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त है। प्रकरण "भीमा बनाम वेदवती वगै0" मु.स. 35/15 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 के खिलाफ उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत एकमात्र प्रार्थीया/प्रतिवादीनी वेदवती द्वारा करीब 7 साल बाद पेश किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री की प्रार्थीया/प्रतिवादीनी व अन्य प्रतिवादी ने आज दिनांक तक कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 से अन्य प्रतिवादीगण वचनसिंह, अजीत सिंह पूर्णतया से संतुष्ट हैं उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री से कोई आपत्ति नहीं है ना ही मौके पर कोई विवाद है। प्रार्थीया/प्रतिवादीनी वेदवती ने गॉव के लोगों के बहकावे में आकर उक्त प्रार्थना–पत्र गलत तरीके से करीब 7 साल बाद प्रस्तुत किया जबकि प्रार्थीया आराजी मुतदाविया की सहखातेदार है तथा दोनों पक्षों की अलग–अलग खाता व जमाबन्दी कायम हो चुकी है। अपीलान्ट के अलावा अन्य दो पक्षकार और थे जिनको प्रार्थना–पत्र में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है और ना ही उनको अपील में पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से सही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.01.2025 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 21.01.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट प्रार्थीया वेदवती पत्नी रतन सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी में प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी बाबत अपास्त किए जाने एक पक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 12.11.2016 सम्बन्धित प्रकरण भीमा बनाम वेदवती

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वगै. मु.न. 35/15 धारा 53, 188 आर.ओ.एक्ट. पेश किया। इस प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीया ने मुख्य रुप से कथन किए कि भीमा बनाम वेदवती वगै0 एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के अनतर्गत अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी भीमा द्वारा प्रार्थीया के खिलाफ पेश किया जो दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीया को उपस्थित होने बाबत दिनांक 17.06.2015 को समन जारी किए। प्रार्थीया को तलब करने हेतु जारी समन की तामील विधि पूर्ण तरीके से नहीं की गयी जबकि प्रार्थीया अपने गांव गोपालगढ़ में ही निवास कर रही है। तामील कुनिन्दा तामील कराने के लिए प्रार्थीया के गांव नहीं गया। पत्रावली की आदेशिका 06.04.2016 के अनुसार प्रार्थी को तलब करने हेतु रजि० एडी से तामील कराना, 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त प्रार्थीया के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 06.04.2016 को की जानी अंकित की गयी। जबकि 06.04.2016 से पूर्व प्रकरण की किसी भी आदेशिका में प्रतिवादीनी/प्रार्थीया को जरिये रजि० ए.डी. से तलब करने का न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया इसमें स्पष्ट है कि प्रार्थीया/प्रतिवादी के खिलाफ उक्त प्रकरण में की गयी एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 06. 04.2016 अवैधानिक तरीके से कानून के खिलाफ की गयी है। इसलिए एक पक्षीय पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय निर्णय दिनांक 12.11.2016 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट पहाडी में पारित किया कोर्ट कैम्प में उपस्थित होने के लिए कोइ समन जारी नहीं किए गए तथा ना ही पत्रावली में कैम्प कोर्ट पहाड़ी में उपस्थिति बाबत कोई नोटिस है। साथ ही यह अंकन किया हे कि राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट गोपालगढ़ में उक्त प्रकरण में उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2016 को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया, उस नोटिस की सम्यक तामील नहीं करायी, जिस पर प्रार्थीया को कोई जानकारी नहीं हो पायी प्रार्थीया अनपढ़ वह कानून से अनभिज्ञ महिला है जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं हैं इसलिए एक पक्षीय डिक्री व निर्णय दिनांक 12.11.2016 अपास्त किए जाने योग्य है। कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थीया को बिना सूचना उसकी अनुपस्थिति में वादी के कहे अनुसार बनायी है। यह प्रार्थना–पत्र विलम्ब से पेश करने पर उसे अन्दर मियाद शुमार करने हेतु धारा 5 का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश दिनांक 02.01.2025 में यह अंकन किया है कि :–

"हमने वकील फरीकेन की बहस सुनी। बहस में वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को व वकील अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया । वकील अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त अपील / एल0आर / 2301/2017/ हनुमानगढ, आर०आर०डी० 14/07/2016, आर0बी0जे0 2021 पेज संख्या 687, आर0बी0जे0 (28) 2021, पेश किये। हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया, पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वेदवती आराजी मुतदाविया की रिकॉर्डेड खातेदार है डिक्री के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विभाजन का अमल किया गया निर्णय डिक्री दिनांक 12/11/2016 के बाद अब करीब 7 साल बाद उक्त प्रार्थना पत्र म्याद गुजरने के बाद काफी देरी से पेश किया गया है। जिसमें देरी का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया गया है तथा प्रार्थना पत्र मात्र वेदवती द्वारा ही प्रस्तुत किया है जबकि प्रकरण में अन्य प्रतिवादीगण अजीत सिंह, वचन सिंह भी पक्षकार है उनकी ओर से निर्णय डिक्री कोई आपत्ति

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नहीं की है म्याद बाहर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।"

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानकर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्तग्रत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज किया है कि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2016 के करीब 7 साल बाद उक्त प्रार्थना–पत्र मियाद गुजरने के काफी देरी से पेश किया गया है। जिसमें देरी का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया गया है तथा प्रार्थना–पत्र मात्र वेदवती द्वारा ही प्रस्तुत किया है जबकि प्रकरण में अन्य प्रतिवादीगण अजीत सिंह, वचन सिंह भी पक्षकार है उनकी ओर से निर्णय में कोई आपत्ति नहीं की है। प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीया अपीलान्ट ने अन्तिम डिक्री दिनांक 12.11.2016 को पारित होने के 7 साल बाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का पेश किया है। एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के आवेदन के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 का अनुच्छेद 123 लागू होता है जिसमें 30 दिन की परिसीमा निर्धारित है। प्रार्थना–पत्र 7 वर्ष की देरी से पेश किया गया है जो अन्दर मियाद शुमार नहीं किया जा सकता क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री की पालना में नामान्तरकरण सं. 2849 दिनांक 20.12.2016 की स्वीकृत हो चुका है एवं इसके आधार पर जमाबन्दी में अमल भी हो चुका है। वर्तमान समय में किसानों के लिए किसान सम्मान निधि एवं अन्य सरकारी योजनाएं भी लागू हैं, जिनका लाभ खातेदार काश्तकारों को मिलता है इसलिए यह कतई नही माना जा सकता कि अपीलान्ट प्रार्थीया को अन्तिम डिक्री का एवं उसके आधार पर उसकी खातेदारी भूमि में रद्दो बदल का उसको ज्ञान ही 7 वर्षों तक नहीं हुआ हो। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में विधिसम्मत निष्कर्ष पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय में अजीत सिंह, बचन सिंह भी पक्षकार है उनको प्रार्थना–पत्र नियम 9 आदेश 13 सीपीसी में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि प्रार्थीया के साथ उनको भी कुर्रे में भूमि प्राप्त हुई है जो आवश्यक पक्षकार हैं। अपीलान्ट प्रार्थीया ने अपील मीमों में यह तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के अलावा अन्य पक्षकार भी थे जिन्होंने कोई कार्यवाही डिक्री को निरस्त कराने बाबत नहीं की तो इससे अपीलान्ट प्रतिवादी के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपीलान्ट अपने हितों तक एक तरफा डिक्री निरस्त करा सकती है से हम सहमत नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में दावा संयुक्त खातेदारी की भूमि के बंटवारे से सम्बन्धित था जिसमें सभी सह–खातेदारों का पक्षकार संयोजित होना आज्ञापक है। अगर अन्य पक्षकारों अजीत सिंह व बचन सिंह ने डिक्री निरस्त कराने की कार्यवाही नहीं की तो अपीलान्ट को उनको अपने प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में पक्षकार बनाना चाहिए था क्योंकि आदेश 9 नियम 14 सीपीसी के अनुसार कोई भी डिक्री विरोधी पक्षकार को सूचना के बिना अपास्त नहीं की जाएगी। यहां पर अजीत सिंह एवं बचन सिंह को कुर्रे में भूमि प्राप्त हुई है इसलिए उनको पक्षकार बनाया जाना एवं सूचना दिया जाना आवश्यक है एकतरफा में अपीलान्ट के हितों तक बंटवारे की अन्तिम डिक्री निरस्त नहीं की जा सकती है।

आदेश 9 नियम 13 सीपीस में निम्न प्रावधान है :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना–किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा यह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा :

परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरुद्ध भी अपास्त की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी ।

स्पष्टीकरण–जहां इस नियम के अधीन एकपक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है वहां उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा।

आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने हेतु किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गयी है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा यह डिक्री पारित की गयी थी और यदि न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रुप से नहीं की गयी थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो ठीक समझे, न्यायालय आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहां तक अपास्त कर दी जाए और वाद में आगे कार्यवाही करने के दिन नियत करेगा। इस प्रकार आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र में प्रतिवादी समन की तामील सम्बन्धी प्रश्न उठा सकता है जो हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया अपीलान्ट ने उठाया है। प्रार्थीया अपीलान्ट ने प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का पेश कर एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2016 को अपास्त कराना चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बंटवारा बाबत पेश किया गया था जिसमें दिनांक 10.08.2016 को प्रारम्भिक डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की गयी जिसको अपास्त कराने बाबत प्रार्थीया अपीलान्ट ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है जबकि इस प्रारम्भिक डिक्री पारित करने से पूर्व 06.04.2016 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी थी। इस कार्यवाही को आक्षेपित किया गया है लेकिन प्रारम्भिक डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी,
भरतपुर (राज.)

इस प्रकरण में अन्तिम भी हो गयी एवं केवल अन्तिम डिक्री को ही आक्षेपित किया गया है तो प्रारम्भिक डिक्री से पूर्व प्रार्थी अपीलान्ट के विरुद्ध की गयी एक पक्षीय कार्यवाही पर विचार नहीं किया जा सकता है अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि प्रार्थीया प्रारम्भिक डिक्री को जारी किया जाना विधिसम्मत मानती है। प्रार्थीया अपीलान्ट ने यह भी आक्षेप लिया है कि उसको अन्तिम डिक्री दिनांक 12.11.2016 पारित करने से पूर्व राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट पहाड़ी में उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा ना ही पत्रावली में कैम्प कोर्ट पहाड़ी में उपस्थिति बाबत् कोर्ट नोटिस है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के बाद एवं अन्तिम डिक्री से पूर्व समन जारी कर प्रतिवादीगण को तामील कराने का प्रावधान नहीं है केवल उन्ही पक्षकारों को कुर्रा प्रस्तावों (विभाजन प्रस्ताव) पर सुनना आवश्यक है जो पत्रावली पर उपस्थित हो एवं जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गयी हो। इस प्रकार समन की तामील सम्बन्धी आक्षेप, बंटवारे के दावे में प्रारम्भिक डिक्री के बाद पारित केवल अन्तिम डिक्री को अपास्त कराने हेतु नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 12.11.2016 के गुणावगुण पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए अपीलान्ट प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 02.01.2025 यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर